टाइप १ मधुमेह ग्रसित व्यक्ति के अधिकार (चार्टर)

आज विश्व में चारों तरफ टाइप १ मधुमेह से ग्रसित लोग मर रहे हैं क्योंकि या तो वे इसका खर्च नहीं उठा पा रहे या उनके पास इन्सुलिन, इसकी जानकारी एवं उपचार उपलब्ध नहीं है।

टाइप १ मधुमेह से ग्रसित प्रत्येक व्यक्ति को जिन्दा रहने एवं पूर्ण जीवन जीने के लिये निम्नलिखित अधिकार है:

१. इन्सुलिन का अधिकार
प्रत्येक व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में इन्सुलिन एवं सिरिंज होनी चाहिये।

२. रक्त शर्करा (ब्लड शुगर) प्रबंधन का अधिकार
हर कोई नियमित रूप से अपने रक्त शर्करा (ब्लड शुगर) के स्तर का जांच करने में सक्षम होना चाहिए।

३. मधुमेह शिक्षा का अधिकार
प्रत्येक व्यक्ति को इन्सुलिन लेने की सही मात्रा, आहार एवं उसकी स्वास्थ हालत समझने में सक्षम होना चाहिए।

४. स्वास्थ का अधिकार
प्रत्येक व्यक्ति को आपात स्थिति में अस्पताल एवं अनुभवी मधुमेह विशेषज्ञ चिकित्सक द्धारा चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिये।

५. भेदभाव से मुक्त जीवन जीने का अधिकार
टाइप १ मधुमेह से ग्रसित किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव या पक्षपात नहीं होना चाहिए।

चार्टर विवरण

१. इन्सुलिन का अधिकार
इसका मतलब पर्याप्त इन्सुलिन की मात्रा, कम कीमत सभी जगह उपलब्ध हो, जो रक्त शर्करा (ब्लड शुगर) को ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण करने में मदद करे ।

२. रक्त में शर्करा को जानने का अधिकार
टाइप १ मधुमेह से ग्रसित प्रत्येक व्यक्ति के पास कम से कम सामान्य स्तर का एक ग्लूकोमीटर, ब्लड ग्लूकोज स्ट्रीप्स, आपात स्थिति में ग्लुकागोन का इंजेक्शन एवं यूरिन कीटोन स्ट्रीप्स होनी चाहिए । हर कोई गंभीर हाईपोग्लेसिमिया दौरान ग्लूकागन इंजेक्शन लेने में सक्षम होना चाहिए। कीटोन की जांच करने के लिए सक्षम होना चाहिए, जो की आम तौर पर उच्च रक्त शर्करा के साथ साथ होते हैं और यदि ध्यान न दिया जाये तो बेहद खतरनाक हो सकते है। पर्याप्त मात्रा में जांच स्ट्रिप्स सस्ती दरों पर उपलब्ध हों, इसका मतलब यह है कि लोगों को प्रति दिन उनके रक्त में शर्करा को कम से कम चार बार परीक्षण आसानी कर सकें।

३. मधुमेह शिक्षा का अधिकार
टाइप १ मधुमेह प्रत्येक व्यक्ति के लिये मधुमेह शिक्षा बहुत जरुरी है ताकि वे अपनी देखभाल ठीक से कर सकें। यदि कोई इन्सुलिन खरीदने में सक्षम है परन्तु उसको यह नहीं पता कि कैसे लेना है तो भी उसके लिये बहुत बढ़ा खतरा है। टाइप १ मधुमेह प्रत्येक व्यक्ति के लिये यह जान लेना बेहद जरूरी है कि इन्सुलिन कैसे काम करता है, किन- किन चीजों से रक्त शर्करा स्तर प्रभावित होती है, उच्च एवं निम्न रक्त शर्करा स्तर को किस तरह से नियंत्रण किया जा सकता ।

४. स्वास्थ का अधिकार
हर किसी को टाइप 1 मधुमेह के निदान के दौरान उच्च दर्जे का उपचार, अनुभवी मधुमेह चिकित्सक द्धारा चिकित्सा करने व्यवस्था हो, आपातकालीन स्थिति में एवं समय समय पर उन्हें उचित परामर्श एवं देखभाल मिले, यदि टाइप १ मधुमेह किसी स्वास्थ जटिलताओं से पीड़ित है तो यह सुनिश्चित किया जाये कि विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में ठीक से इलाज हो।

५. भेदभाव से मुक्त जीवन जीने का अधिकार
टाइप १ मधुमेह व्यक्ति को बहुत सी जगह पर रोजगार नहीं दिया जाता, लड़कियों से शादी नहीं करते सोचते है की उनके बच्चे नहीं होंगे । टाइप १ मधुमेह प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार, विवाह का अधिकार है तथा किसी भी हालत उन्हें नीचा न समझा।

चार्टर पर हस्ताक्षर कौन सकते हैं?
कोई भी संस्था एवं व्यक्ति चार्टर हस्ताक्षर पर कर सकता है ।

इस चार्टर को उपयोग कैसे किया जाएगा?
इस चार्टर का उपयोग दुनिया भर में टाइप १ मधुमेह सहयोगियों के प्रयासों को मजबूत करने में किया जायेगा और ये यह दिखलायेगा की दुनिया भर में इन अधिकारों के लिये आवाज उठाई जा रही है। इसका उपयोग टाइप १ मधुमेह के अधिकारओं को प्राथमिकता दिलाने साथ- साथ सरकारों एवं संगठनों के कार्य कलाप और नीतियों में बदलाव लाने के लिये किया जायेगा।

सस्ता होने का क्या मतलब है ?
हमारे लिये सस्ते होने का मतलब है कि किसी वस्तु को खरीदने की लागत, हमारे भोजन, आश्रय या शिक्षा जैसे अन्य आवश्यक चीजों प्रभावित न करे और कोई भी स्वास्थ समस्या हमारे जीवन जीने में बाधक न हो।

शब्द अर्थ

हाईपोग्लेसिमिया - हाईपोग्लेसिमिया रक्त में ग्लूकोज की कमी है, और इसे निम्न रक्त शर्करा (लो ब्लड शुगर) के रूप में जाना जाता है।

ग्लूकागन इंजेक्शन - यह एक आपात कालीन औषधी है जिसका उपयोग मधुमेह रोगियों में गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया होने पर किया जाता है जब कि मुँह से ग्लूकोज़ देना सम्भव न हो।

ग्लूकोमीटर (ग्लूकोज मीटर) - रक्त में ग्लूकोज की अनुमानित मात्रा जांचने करने के लिए एक उपकरण है।

कीटोन परीक्षण स्ट्रिप्स - कीटोन परीक्षण स्ट्रिप्स मूत्र में कीटोन की उपस्थिति की जाँच के लिये उपयोग होता है । पर्याप्त इंसुलिन के बिना, शरीर की कोशिकायें ग्लूकोज को अवशोषित नहीं कर पाती और इस स्थिति में शरीर को ऊर्जा शरीर मे उपस्थित वसा से मिलती है।

कीटोन्स - वसा टूटने का एक उप-उत्पाद हैं, और रक्त में इसका उच्च स्तर होने पर रक्त विषाक्त हो सकता है।